भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3831

(दिनांक 18.12.2024 को उत्तर के लिए)

लेटरल प्रवेश के माध्यम से भर्ती किए गए सिविल सेवक

3831. सुश्री एस. जोतिमणि:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस योजना के आरंभ से लेकर अब तक विभिन्न सरकारी विभागों में लेटरल प्रवेश के माध्यम से भर्ती किये गये कुल सिविल सेवकों की संख्या कितनी है;
(ख) उन विभागों और पदों का ब्यौरा क्या है जहां इन लेटरल सिविल सेवकों को नियुक्त किया गया है;
(ग) उक्त योजना के माध्यम से सिविल सेवकों की भर्ती के लिए क्या मानदण्ड और अर्हताएं अपनाई गई हैं;
(घ) क्या सरकार ने सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली और दक्षता पर लेटरल प्रवेश के प्रभाव का अध्ययन किया है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) वर्ष 2018 में पार्श्विक (लेटरल) भर्ती की शुरूआत से इसके माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में संविदा/प्रतिनियुक्ति आधार पर संयुक्त सचिव/निदेशक/उप सचिव के स्तर पर अब तक 63 नियुक्तियां की गईं हैं। वर्तमान में मंत्रालयों /विभागों में 51 अधिकारी पदस्थ हैं।

(ख) 63 पार्श्विक भर्ती अधिकारियों के विभागों और उनके पदों का विवरण, संलग्नक-I में दिया गया है।

(ग) पार्श्विक भर्ती, मंत्रालयों/विभागों की कार्यात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संयुक्त सचिव, निदेशक और उप-सचिव स्तर पर प्रक्षेत्र (डोमेन) विशिष्ट और तकनीकी पदों के लिए की जाती है। पार्श्विक भर्ती के लिए तीन चरणों में अपनाए जाने वाले मानदण्ड और अर्हताएं इस प्रकार हैं:

- पहला चरण (2018) - डीओपीटी द्वारा जारी विज्ञापन की प्रति संलग्नक- II में है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पदों, अर्हता मानदण्डों और अन्य शर्तों का ब्यौरा शामिल है।
- दूसरा चरण (2021)-(https://upsc.gov.in/sites/default/files/Advt-No-51-2021-Engl_1.pdf)(http://upsc.gov.in/sites/default/files/Advt-No-52-2021-Engl_1.pdf).
- तीसरा चरण (2023) - (https://upsc.gov.in/sites/default/files/Advt-Spl-52-LateralEntry-Rev-020623-Eng_0.pdf)

  (https://upsc.gov.in/sites/default/files/Advt-Spl-53-2023-LateralEntry-02062023-Eng_0.pdf)

(घ) और (ङ) समय-समय पर आंतरिक आकलन किए जाते हैं। हालांकि, ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

संलग्नक- I

पार्श्विक प्रवेश के माध्यम से नियुक्त किए गए 63 उम्मीदवारों की सूची:

क्रम सं.	नाम	पद	मंत्रालय/विभाग
1	अरुण गोयल	संयुक्त सचिव	वाणिज्य
2	अंबर दुबे	संयुक्त सचिव	नागरिक उड्डयन
3	राजीव सक्सेना	संयुक्त सचिव	आर्थिक कार्य
4	सुजीत कुमार बाजपेयी	संयुक्त सचिव	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन
5	सौरभ मिश्रा	संयुक्त सचिव	वित्तीय सेवाएं
6	दिनेश दयानंद जगदाले	संयुक्त सचिव	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा
7	सुमन प्रसाद सिंह	संयुक्त सचिव	सड़क परिवहन और राजमार्ग
8	भूषण कुमार	संयुक्त सचिव	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग
9	बालासुब्रमण्यम कृष्णमूर्ति	संयुक्त सचिव	राजस्व
10	सैमुअल प्रवीण कुमार	संयुक्त सचिव	कृषि एवं किसान कल्याण
11	मनीष चड्ढा	संयुक्त सचिव	वाणिज्य
12	संदेश माधवराव टिलेकर	निदेशक	कौशल विकास और उद्यमिता
13	गोविंद के. बंसल	निदेशक	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
14	शिव मोहन दीक्षित	निदेशक	जल शक्ति
15	गौरव सिंह	निदेशक	उच्च शिक्षा

16	सागर रमेशराव कडू	निदेशक	उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन
17	एडला नवीन निकोलस	निदेशक	स्कूल शिक्षा और साक्षरता
18	हर्षा भौमिक	निदेशक	आर्थिक मामले
19	प्रभु नारायण	निदेशक	आर्थिक मामले
20	मातेश्वरी प्रसाद मिश्र	निदेशक	खाद्य और सार्वजनिक वितरण
21	हैमंती भट्टाचार्य	निदेशक	विधिक कार्य
22	मंदाकिनी बलोधी	निदेशक	वित्तीय सेवाएं
23	कपिल अशोक बेंद्रे	निदेशक	कृषि और परिवार कल्याण
24	अवनीत सिंह अरोड़ा	निदेशक	विधिक कार्य
25	शेखर चौधरी	निदेशक	आर्थिक मामले
26	नीरज गाबा	निदेशक	वाणिज्य
27	हार्दिक सेठ	निदेशक	वित्तीय सेवाएं
28	बिदुर कांत झा	निदेशक	सड़क परिवहन और राजमार्ग
29	मुक्ता अग्रवाल	निदेशक	स्कूल शिक्षा और साक्षरता
30	राजेश असाटी	उप सचिव	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग
31	जमीरुद्दीन अंसारी	उप सचिव	शक्ति
32	सौमेंदु रे	उप सचिव	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन
33	गौरव किशोर जोशी	उप सचिव	भारी उद्योग

34	राजन जैन	उप सचिव	कॉर्पोरेट मामले
35	जी सारथी राजा	उप सचिव	इस्पात
36	धीरज कुमार	उप सचिव	खान
37	रुचिका द्राल	उप सचिव	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन
38	रीतू चंद्रा	उप सचिव	स्कूल शिक्षा और साक्षरता
39	प्रिया जैकब	निदेशक	खाद्य और सार्वजनिक वितरण,
40	सिमरत कौर	निदेशक	उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग,
41	सुनील कुमार शर्मा	निदेशक	शक्ति
42	शरद कुमार द्विवेदी	निदेशक	कृषि और किसान कल्याण
43	मनीष मिश्रा	निदेशक	शक्ति
44	विष्णु मिश्र	निदेशक	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन
45	सौम्या राजन	उप सचिव	उच्चतर शिक्षा
46	रोहिना गुप्ता	निदेशक	आवासन और शहरी मामले
47	मधु सूदन शंकर	संयुक्त सचिव	नागरिक उड्डयन
48	हरिकुमार जानकीरमन	निदेशक	स्कूल शिक्षा और साक्षरता
49	इंद्रानिल दास	निदेशक	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
50	राजेश्वरी एस मल्लेगौड़ा	निदेशक	ग्रामीण विकास
51	आशिमा भटनागर	उप सचिव	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

52	संतोष डब्ल्यू बी	निदेशक	रसायन और पेट्रोकेमिकल्स
53	मीनल सोनी	उप सचिव	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन
54	संजीव कुमार	उप सचिव	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन
55	जिग्नेशकुमार परेशभाई सोलंकी	निदेशक	वित्तीय सेवाएं
56	अजय कुमार अरोड़ा	संयुक्त सचिव	विधिक कार्य
57	हिमांशु जोशी	उप सचिव	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन
58	नीरज प्रकाश	निदेशक	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन
59	मनीष कुमार	उप सचिव	भारी उद्योग
60	हितेंद्र साहू	निदेशक	फार्मास्यूटिकल्स
61	रवि रंजन सिंह	निदेशक	कृषि और किसान कल्याण
62	मनोज मुत्तातिल	संयुक्त सचिव	वित्तीय सेवाएं
63	शुभांकित श्रीवास्तव	उप सचिव	भारी उद्योग मंत्रालय

संलग्नक-II

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

भारत सरकार में वरिष्ठ पदों पर पार्श्विक भर्ती

भारत सरकार राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने के इच्छुक प्रतिभावान और अभिप्रेरित भारतीय नागरिकों को भारत सरकार में वरिष्ठ प्रबंधन के एक महत्वपूर्ण स्तर अर्थात संयुक्त सचिव के स्तर पर सरकार से जुड़ने के लिए आमंत्रित करती है।

भारत सरकार में संयुक्त सचिव वरिष्ठ प्रबंधन का महत्वपूर्ण स्तर होता है। वे नीति निर्माण तथा उन्हें सौंपे गए विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों और स्कीमों के कार्यान्वयन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। संयुक्त सचिव मंत्रालय/विभाग में सचिव/अपर सचिव को रिपोर्ट करते हैं।

I. सरकार ऐसे दस (10) उत्कृष्ट व्यक्तियों को खोज कर रही है जिनके पास (i) राजस्व (ii) वित्तीय सेवाओं (iii) आर्थिक कार्य (iv) कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण (v) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग (vi) नौवहन (vii) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन (viii) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा (ix) नागर विमानन तथा (x) वाणिज्य के क्षेत्रों में अनुभव हो।

II. मानदंड :

(i) आयु: 01 जुलाई, 2018 को न्यूनतम 40 वर्ष।

(ii) योग्यता : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक। उच्च शैक्षिक योग्यता को लाभ प्रदान किया जाएगा।

(iii) पात्रता : निम्नलिखित व्यक्ति आवेदन करने के पात्र होंगे:-

क. किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के ऐसे अधिकारी, जो संगत अनुभव सहित समकक्ष स्तर पर पहले से ही कार्यरत हों, अथवा अपने संवर्ग में समकक्ष स्तर पर नियुक्ति के लिए पात्र हों।

ख. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), स्वायतशासी निकायों, सांविधिक संगठनों, विश्वविद्यालयों, मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों में कम से कम 15 वर्ष के अनुभव सहित तुलनीय स्तर पर कार्यरत व्यक्ति।

ग. निजी क्षेत्र की कम्पनियों, परामर्शदाता संगठनों, अंतरराष्ट्रीय/बहुराष्ट्रीय संगठनों में कम से कम 15 वर्ष के अनुभव सहित तुलनीय स्तरों पर कार्यरत व्यक्ति।

III. संविदा की अवधि : संविदा की अवधि इसके प्रारंभ की तारीख से 3 वर्ष होगी, जिसे कार्यनिष्पादन के आधार पर 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

IV. प्रतिकर : चयनित आवेदकों को संयुक्त सचिव के लिए यथालागू वेतनमान अर्थात 144200-218200 रूपए प्रति माह (वेतन मैट्रिक्स का स्तर 14) के आरंभ में रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त, वे भारत सरकार में समकक्ष स्तर पर यथास्वीकार्य सभी भत्तों एवं सुविधाओं के हकदार होंगे।

तथापि, सरकार के पास पात्र नियुक्त व्यक्ति को वेतनमान के भीतर समुचित स्तर में रखने का अधिकार सुरक्षित होगा।

V. सेवा की सामान्य शर्तें : भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा-अधिसूचित सीसीएस (आचरण) नियमावली तथा ऐसी ही अन्य संविधियों के प्रयोजन से सभी नियुक्त व्यक्तियों को लोक सेवक माना जाएगा। किसी भी पक्ष द्वारा कम से कम तीन महीने की नोटिस अवधि के माध्यम से इस नियोजन संविदा को समाप्त किया जा सकता है।

VI. लघु सूची में शामिल किए गए उम्मीदवारों को चयन समिति के साथ वैयक्तिक संवाद के लिए बुलाया जाएगा।

VII. आवेदन पत्रों को प्रस्तुत करना : आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई, 2018 सायं 5.00 बजे तक है। सभी आवेदन पत्रों को 15 जून, 2018 से 30 जुलाई, 2018 सायं 5.00 बजे तक http://lateral.nic.in पर ऑनलाइन रूप से जमा किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में समय-सीमा को बढ़ाया नहीं जाएगा।

VIII. दस्तावेजी रूप में प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।